<u>Date – 3 August 2022</u>

जीन थेरेपी की प्रभावशीलता

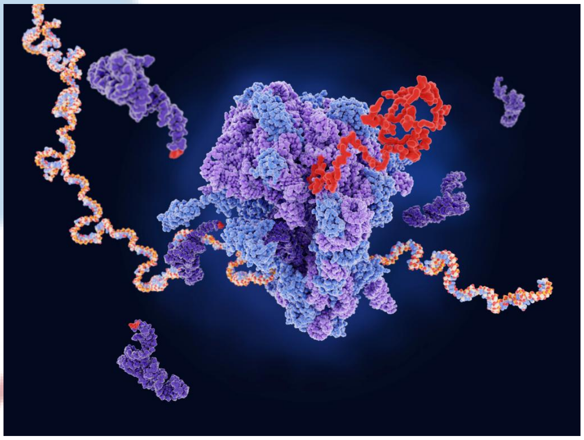

हाल ही में किये गए एक शोध में यह बताया गया है कि कोशिकाओं को बेहतर प्रोटीन कारखाने बनने में मदद करने से जीन उपचार और अन्य उपचारों में अधिक सुधार हो सकता है। इसके तहत एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है जिसका शीर्षक **"सीक्रेशन ऑफ फंक्शनल अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज़ सेल टाइप डिपेंडेंट" है,** जो दर्शाता है कि शरीर में प्रोटीन विनियमन नेटवर्क को बदलकर आनुवंशिक रोगों के इलाज में मदद करके जीन थेरेपी की प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सकता है।

- जीन थेरेपी में एक दोषपूर्ण जीन को एक कार्यशील जीन के साथ बदलना शामिल है जो कोशिकाओं को लापता या निष्क्रिय प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए निर्देशित कर सकता है।
- हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। हमारे प्रत्येक अंग में बहुत भिन्न कार्य करने वाली कोशिकाएँ होती हैं।
    - उदाहरण के लिए, यकृत कोशिकाएं उच्च स्तर की स्रावी होती हैं, क्योंकि उनके काम के लिए उन्हें आपके रक्त में कई प्रोटीन बनाने और निर्यात करने की आवश्यकता

होती है। इसके विपरीत, मांसपेशियों की कोशिकाओं को संकुचन को सुविधाजनक बनाने का काम सौंपा जाता है जो आपको स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं।

- तथ्य यह है कि कोशिकाएं इतनी विशिष्ट हैं कि जीन थेरेपी के लिए निहितार्थ हैं, एक मरीज के डीएनए में त्रुटि के स्रोत को सही करके आनुवंशिक रोगों का इलाज करने का एक तरीका है।
- स्वास्थ्य प्रदाता एक रोगी की कोशिकाओं में सुधारात्मक जीन ले जाने के लिए एक हानिरहित वायरल या बैक्टीरियल वेक्टर का उपयोग करते हैं, जहां जीन तब रोग के इलाज के लिए आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए कोशिका को निर्देशित करता है।
- स्नायु कोशिकाएं एक सामान्य लक्ष्य हैं क्योंकि मांसपेशियों में इंजेक्ट की गई जीन थेरेपी अन्य मार्गों से शरीर में प्रवेश करने की तुलना में अधिक सुलभ हैं। लेकिन मांसपेशियों की कोशिकाएं वांछित प्रोटीन का उतनी कुशलता से उत्पादन नहीं कर सकती हैं, जितना कि जीन उसे करने का निर्देश देता है, वह उस काम से बहुत अलग होता है जिसमें वह माहिर होता है।
- कोशिकाओं में स्वस्थ प्रोटीन का उत्पादन और रखरखाव करने की प्रक्रिया को होमियोस्टेसिस कहा जाता है, जिसे प्रोटियोस्टेसिस भी कहा जाता है।
- प्रोटीन विनियमन नेटवर्क को बदलकर, जीन थेरेपी का जवाब देने और आनुवंशिक रोगों का इलाज करने की उनकी क्षमता को बढ़ाकर मांसपेशियों की कोशिकाओं को यकृत कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने का एक तरीका बताया गया है।

जीन थेरेपी क्या है?

जीन थेरेपी एक चिकित्सा दृष्टिकोण है जो अंतर्निहित अनुवांशिक समस्या को ठीक करके बीमारी का इलाज या रोकथाम करता है। जीन थेरेपी तकनीक डॉक्टरों को दवाओं या सर्जरी का उपयोग करने के बजाय किसी व्यक्ति के आनुवंशिक मेकअप को बदलकर एक विकार का इलाज करने की अनुमति देती है।

जीन थेरेपी की प्रारंभिक विधि, जिसे अक्सर जीन स्थानांतरण या जीन जोड़ कहा जाता है, को विकसित किया गया था:

- एक बीमारी से लड़ने में मदद करने के लिए कोशिकाओं में एक नया जीन पेश करें।

- रोग का कारण बनने वाली परिवर्तित प्रति के लिए खड़े होने के लिए जीन की एक गैर-दोषपूर्ण प्रतिलिपि का परिचय दें।
- एक नई तकनीक, जिसे जीनोम एडिटिंग कहा जाता है (जिसका एक उदाहरण CRISPR-Cas9 है), आनुवंशिक अंतर को ठीक करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करता है।
- कोशिकाओं में नई आनुवंशिक सामग्री को पेश करने के बजाय, जीनोम संपादन सेल में मौजूदा डीएनए को आणविक उपकरण द्वारा बदल दिया जाता है जिससे कोशिका के अन्तर्निहित विकार को आनुवंशिक परिवर्तन द्वारा ठीक किया जाता है, ताकि जीन सही प्रकार से कार्य कर सके।
- इस प्रक्रिया द्वारा ख़राब जीन को सही जीन से बदलकर या ख़राब जीन को हटा कर रोगों से लड़ने में मदद करता है।
- डीएनए के एक टुकड़े को हटा देंने से जीन समारोह को खराब हो जाता है, और बीमारी पैदा कर सकता है।

जीन थेरेपी का उपयोग कम संख्या में बीमारियों के इलाज के लिए किया जा रहा है, जिसमें लेबर जन्मजात अमोरोसिस नामक नेत्र विकार और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक एक मांसपेशी विकार शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सुरक्षित और प्रभावी होंगे, कई और जीन उपचारों पर शोध किया जा रहा है। जीनोम एडिटिंग एक आशाजनक तकनीक है जिसका अध्ययन भी किया जा रहा है कि डॉक्टर जल्द ही लोगों में विकारों के इलाज के लिए उपयोग करने की उम्मीद करते हैं।

प्रोटीन कारखानों को बढ़ावा देना

- एक बीमारी जिसके लिए जीन थेरेपी में काफी संभावनाएं हैं, वह है अल्फा -1 एंटीट्रिप्सिन (AAT) की कमी, एक ऐसी स्थिति जिसमें यकृत कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन AAT बनाने में असमर्थ होती हैं। इसके परिणामस्वरूप फेफड़े के ऊतकों का टूटना होता है जो गंभीर श्वसन समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें गंभीर फेफड़े के रोग जैसे कि क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) या वातस्फीति का विकास शामिल है।
- मरीजों का इलाज आमतौर पर आसव के माध्यम से AAT प्राप्त करके किया जाता है। लेकिन इसके लिए मरीजों को या तो नियमित रूप से अस्पताल जाना पड़ता है या फिर जीवन भर महंगे उपकरण घर पर ही रखने पड़ते हैं। AAT की कमी का कारण बनने वाले दोषपूर्ण जीन को बदलना रोगियों के लिए वरदान हो सकता है। वर्तमान जीन थेरेपी AAT-उत्पादक जीन को पेशी में इंजेक्ट करती है। हमारे सहयोगियों में से एक, टेरेंस

फ्लोट ने इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में AAT जीन थेरेपी देने के लिए एक वाहन के रूप में एडेनो-जुड़े वायरस के हानिरहित संस्करण का उपयोग करने का एक तरीका विकसित किया, जिससे कई वर्षों में प्रोटीन की निरंतर रिहाई की अनुमति मिलती है।

जीन थेरेपी से परे इलाज

हमारे निष्कर्षों में सिर्फ जीन थेरेपी से परे निहितार्थ हैं। उदाहरण के लिए, mRNA टीकों की प्रभावशीलता इस बात से भी प्रभावित होती है कि प्रत्येक कोशिका एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का उत्पादन कितनी अच्छी तरह करती है। चूंकि अधिकांश mRNA टीके मांसपेशियों को इंजेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं, इसलिए वे जीन थेरेपी के समान सीमाओं का भी सामना कर सकते हैं और वांछित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से कम उत्पन्न कर सकते हैं। मांसपेशियों की कोशिकाओं के प्रोटीन उत्पादन में वृद्धि संभावित रूप से वैक्सीन प्रतिरक्षा में सुधार कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, बायोटेक उद्योग द्वारा बनाई गई कई दवाएं जिन्हें बायोलॉजिक्स कहा जाता है, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती हैं, किसी दिए गए सेल की प्रोटीन उत्पादन क्षमताओं पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। लेकिन इनमें से कई दवाएं उन कोशिकाओं का उपयोग करती हैं जो बड़ी मात्रा में प्रोटीन बनाने के लिए विशिष्ट नहीं हैं। सेल में प्रोटीन होमियोस्टेसिस बढ़ाने वाला जोड़ने से प्रोटीन की उपज को अनुकूलित किया जा सकता है और दवा की प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है।

प्रोटीन होमियोस्टेसिस एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है जो दवा विकास से परे है। अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे कई न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग असामान्य प्रोटीन विनियमन से जुड़े होते हैं। समय के साथ प्रोटीन उत्पादन और उपयोग को प्रबंधित करने की कोशिका की क्षमता में गिरावट उम्र से संबंधित बीमारियों में योगदान कर सकती है। प्रोटीन होमियोस्टेसिस के पीछे सेलुलर मशीनरी में सुधार के तरीकों पर और शोध से उम्र बढ़ने में देरी हो सकती है और बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला के इलाज के लिए कई नए दरवाजे खुल सकते हैं।

रवि सिंह

धूम्रपान मुक्त वातावरण

- वर्ष 2025 तक धुंआ मुक्त होने की अपनी योजना को पूरा करने के लिए, न्यूजीलैंड की संसद ने हाल ही में धूम्रपान मुक्त पर्यावरण और विनियमित उत्पाद (स्मोक्ड टोबैको) संशोधन विधेयक पेश किया।
- न्यूजीलैंड के बाद, मलेशिया भी 2007 के बाद पैदा हुए लोगों को धूम्रपान और ई-सिगरेट सहित सभी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है।

तंबाकू एंडगेम पर न्यूजीलैंड विधेयक:

- 'तंबाकू एंडगेम' एक नीति दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो 'तंबाकू मुक्त भविष्य' के उद्देश्य से तंबाकू से संबंधित बीमारी को समाप्त करने पर केंद्रित है।
- बिल में धूम्रपान को कम करने या खत्म करने के लिए तीन रणनीतियों का आह्वान किया गया है।
- अगर बिल लागू हो जाता है तो यह दुनिया का पहला कानून होगा जो आने वाली पीढ़ी को कानूनी तौर पर सिगरेट खरीदने से रोकेगा।

प्रस्तावित रणनीतियाँ:

- तंबाकू में निकोटीन की मात्रा को महत्वपूर्ण रूप से कम करें (जिसे "डेनिकोटिनाइजेशन" या "बहुत कम निकोटीन सिगरेट – वीएलएनसी" कहा जाता है) ताकि नशे की लत न लगे।
- तंबाकू बेचने वाली दुकानों की संख्या में 90% से 95% की कमी।
- 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू बेचने के लिए इसे अवैध (इस प्रकार "धूम्रपान मुक्त पीढ़ी") बनाना।

तंबाकू सेवन की वर्तमान स्थिति:

वैश्विक:

- तंबाकू महामारी दुनिया के अब तक के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है, जिसमें हर साल (विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार) परोक्ष रूप से (सिगरेट के धुएं आदि के कारण) 80 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है।
- दुनिया भर में चार में से एक व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है।

YOJNA IAS

- तंबाकू के सभी रूप हानिकारक हैं, और तंबाकू के संपर्क में आने का कोई सुरक्षित स्तर नहीं है।
- सिगरेट धूम्रपान दुनिया भर में तंबाकू के सेवन का सबसे आम रूप है।
- अन्य तंबाकू उत्पादों में वाटरपाइप तंबाकू, विभिन्न धुआं रहित तंबाकू उत्पाद, सिगार, सिगारिलोस, रोल-योर-ओन तंबाकू, पाइप तंबाकू, बीड़ी और क्रेटेक्स शामिल हैं।
- कैंसर, फेफड़े की बीमारी, हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कई पुरानी बीमारियों के लिए तंबाकू का उपयोग एक प्रमुख जोखिम कारक है।

भारत में स्थान:

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (वर्ष 2019-21) के अनुसार, 38% पुरुष और 15 वर्ष से अधिक आयु की 9% महिलाएं तंबाकू उत्पादों का उपयोग करती हैं।
- अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाएं (19%) और पुरुष (51%) किसी भी अन्य जाति/जनजाति समूह के लोगों की तुलना में तंबाकू का उपयोग करने की अधिक संभावना रखते हैं।
- पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं में, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में (पुरुषों के लिए 43 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 11 प्रतिशत) तंबाकू की खपत अधिक है।
- पांच में से तीन पुरुष और 15% महिलाएं जिनके पास स्कूली शिक्षा नहीं है या जिनकी स्कूली शिक्षा 5 साल से कम है, वे तंबाकू का सेवन करते हैं।

तंबाकू की खपत का सामाजिक-आर्थिक बोझ:

- तंबाकू के सेवन से लोग घर के खर्चे, भोजन और आवास जैसी बुनियादी जरूरतों पर नहीं, बल्कि तंबाकू पर खर्च करते हैं, जिससे गरीबी बढ़ती है।
- तंबाकू के उपयोग की आर्थिक लागत पर्याप्त है और इसमें तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल लागत, साथ ही तंबाकू रुग्णता और मृत्यु दर के परिणामस्वरूप मानव पूंजी की हानि शामिल है।
- यह भारत में मृत्यु और बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है और हर साल लगभग 35 मिलियन मौतों का कारण बनता है।
- भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक भी है। देश में विभिन्न प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध हैं।
- तंबाकू के उपयोग के कारण कुल आर्थिक लागत (वर्ष 2017-18 में भारत में सभी बीमारियों से 35 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए) 177,341 करोड़ रुपये थी।

तंबाकू के अधिक सेवन से निपटने के उपाय:

वैश्विक पहल:

तंबाकू नियंत्रण पर डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन:

- इसे तंबाकू महामारी की वैश्विक रोकथाम के लिए विकसित किया गया था और यह एक साक्ष्य-आधारित संधि है जो सभी लोगों के स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर के अधिकार की पुष्टि करती है।
- भारत ने WHO FCTC के इस ढांचे के तहत तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाया है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस:

- तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 31 मई को 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

भारत द्वारा की गई पहल:

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003:

- इसने सिगरेट के पैक और विज्ञापनों पर प्रदर्शित होने वाले सिगरेट अधिनियम (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) 1975 (काफी हद तक वैधानिक चेतावनियों तक सीमित – 'सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है') को बदल दिया।
- 2003 के अधिनियम में सिगार, बीड़ी, करूट (बिना फिल्टर के बेलनाकार सिगार), पाइप तंबाकू, हुक्का, चबाने वाला तंबाकू, पान मसाला और गुटखा भी शामिल था।

ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश, 2019:

- यह ई-सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।

नेशनल टोबैको क्विटलाइन सर्विसेज (NTQLS):

- तंबाकू छोड़ने के इच्छुक लोगों को टेलीफोन आधारित जानकारी, सलाह, समर्थन और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय तंबाकू क्विटलाइन सेवाएं बड़ी संख्या में तंबाकू उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने में सक्षम हैं।

mCessation कार्यक्रम:

- यह कार्यक्रम तंबाकू छोड़ने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है।
- भारत ने सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में पाठ संदेशों का उपयोग करते हुए 2016 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की।

स्वदीप कुमार

मिग -21

- हाल ही में भारतीय वायु सेना (IAF) का एक मिग-21 बाइसन विमान राजस्थान के बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें लड़ाकू विमान के प्रशिक्षण संस्करण में सवार दो पायलटों की मौत हो गई।
- वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास लगभग 70 मिग-21 विमान और 50 मिग-29 प्रकार हैं।
- वर्तमान में, भारतीय वायु सेना में मिग-21 बाइसन विमान के चार स्काड्रन कार्यरत हैं, प्रत्येक स्काड्रन में दो प्रशिक्षण संस्करणों सहित 16-18 विमान शामिल हैं।

चरणबद्ध तरीके से हटाना

- IAF अगले पांच वर्षों में मिग-29 लड़ाकू जेट के तीन स्काड्रन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भी योजना बना रहा है।
- यह भारतीय वायु सेना के आधुनिकीकरण अभियान का एक हिस्सा है।
- सभी चार मिग-21 स्काड्रनों को वर्ष 2025 तक सेवानिवृत्त करने की योजना है।

मिग-21:

- मिग-21 एक सुपरसोनिक जेट लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है, जिसे सोवियत संघ में मिकोयान-गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा निर्मित किया गया है।
- मिग सोवियत संघ से खरीदा गया एक लड़ाकू विमान है जो 1959 से एआईएफ में सेवा दे रहा है।
- चार महाद्वीपों के लगभग 60 देशों ने मिग-21 का उपयोग किया है और यह अपनी पहली उड़ान के छह दशक बाद भी कई देशों में सेवा में है।
- भारत ने वर्ष 1963 में मिग-21 को शामिल किया और देश में विमान के पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लाइसेंस-विनिर्माण अधिकार प्राप्त किए।
- रूस ने 1985 में विमान का उत्पादन बंद कर दिया, जबकि भारत ने उन्नत संस्करणों का संचालन जारी रखा।

भारत में मिग-21 क्रैश:

- पिछले दस वर्षों में 108 हवाई दुर्घटनाएं और क्षति हुई है, जिसमें भारतीय वायु सेना, नौसेना, सेना और तटरक्षक बल के सभी हथियार शामिल हैं।

- इनमें से 21 दुर्घटनाओं में मिग-21 बाइसन और इसके वेरिएंट शामिल थे।
- दुर्घटनाओं की उच्च दर के कारण विमान को 'फ्लाइंग कॉफ़िन' का उपनाम दिया गया था।
- सैन्य विमान दुर्घटनाओं का कोई एक सामान्य कारण नहीं है। ये मौसम, मानवीय त्रुटि, तकनीकी त्रुटि से लेकर 'बर्ड हिट' तक हो सकते हैं।
- मिग-21 एक इंजन वाला लड़ाकू जेट है जो कुछ दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकता है।
- यह एक इंजन वाला लड़ाकू जेट है और जब इसका इंजन बंद हो जाता है तो इसे फिर से चालू करने की आवश्यकता होती है लेकिन इसमें एक निश्चित समय लगता है, इसलिए यदि आप न्यूनतम ऊंचाई से नीचे हैं तो आपको विमान से कूदना होगा।

स्वदीप कुमार

चुनावी बॉण्ड:अवसर या खतरा

संदर्भ क्या है?

- भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में चुनावी बॉण्ड (Electoral Bond) एक जुलाई, 2022 से 10 जुलाई, 2022 तक खरीदने के लिए जारी किये गए।
- हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने एक रिपोर्ट में बताया कि कि चुनावी बॉण्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान की गई राशि 10,000 करोड़ रुपए का आँकड़ा पार कर चुकी है।
- राजनैतिक दलों द्वारा एकत्र की गई कुल राशि वर्ष 2018 में चुनावी बॉण्ड योजना शुरू होने के बाद से 10,246 करोड़ रुपए हो गई है।
- जुलाई 2022 में आयोजित चुनावी बॉण्ड की 21वीं बिक्री में राजनैतिक दलों को चुनावी बॉण्ड खरीद से 5 करोड़ रुपए मिले।

चुनावी बॉण्ड क्या हैं ?

- राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में इलेक्टोरल बॉण्ड की व्यवस्था की गयी है।
- केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 केबजट में इलेक्टोरल बॉण्ड शुरू करने का ऐलान किया था।

- इलेक्टोरल बॉण्ड से आशय एक ऐसे बॉण्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है।
- वर्ष में चार महीनों में 1 से 10 तारीख के बीच इलेक्टोरल बॉण्ड की बिक्री होती है। ये महीने हैं-जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर।
- भारतीय स्टेट बैंक की केवल 29 शाखाओं में ही इलेक्टोरल बॉण्ड मिलते हैं।
- 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपेय और 1 करोड़ रुपये मूल्य के बॉण्ड कोई भी भारतीय व्यक्ति खरीद सकता है। इसका अर्थ है कि एक हजार रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक बॉण्ड के जरिए किसी राजनीतिक दल को दे सकते हैं।

आयकर छूट

• आयकर विभाग की धारा 80GGC/80GGB के तहत इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट भी मिलती है।

• इसके अलावा, राजनीतिक दलों को Income Tax Act के Section 13A के तहत बॉण्ड के तौर पर मिले चंदे में छूट मिलेगी।

चुनावी बॉण्ड खरीदने की योग्यता

• भारत का कोई भी नागरिक, संस्था या कंपनी चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोपरल बॉण्ड खरीद सकते हैं।

• बॉण्ड के लिए बॉण्ड खरीदने वाले को अपनी सारी जानकारी (केवाईसी) बैंक को देनी होगी।

• चुनावी बॉण्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे जाते हैं और इन बॉण्ड पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।

• बॉण्ड खरीदने वाले को उसका उल्लेख अपनी बैलेंस शीट में भी करना होगा।

• यह बॉण्ड खरीदे जाने के 15 दिन तक मान्य होते हैं। चुनावी बॉण्ड खरीदने की शर्तें इलेक्टोरल बॉण्ड के जरिए डोनेशन हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए दो शर्तें हैं।

• पहली, राजनीतिक दल सेक्शन 29A के रिप्रजेंटेजेंशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।

• दूसरी, उसे लोकसभा और राज्यों के चुनाव में कुल डाले गए वोट्स का कम से कम 1 फीसदी मिला होना चाहिए।

अन्य शर्तें

• चुनावी बॉण्ड से चंदा लेने वाले राजनीतिक दल को बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसे भुनाना होगा।

• चुनावी बॉण्ड की राशि राजनीतिक दल केबैंक खाते में उसी दिन जमा कर दी जाएगी जिस ि दन इसे बैंक में प्रस्तुत किया जाएगा।
• चुनावी बॉण्ड खरीदने केलिए चेक का उपयोग करना होगा।
• चुनावी बांड का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को चंदा देने केलिए किया जाता है।
• इस बांड का उपयोग करकेकिए गए दान पर भी कर छूट उपलब्ध है।

चुनौतियाँ

• राजनीतिक चंदे में योगदानकर्ता की गोपनीयता और अस्पष्टता चुनाव आयोग की जांच के दायरे से बाहर है। केवाईसी होने केबाद भी केवल बैंक या सरकार ही डोनर केबारे में जान सकती है, चुनाव आयोग या कोई आम नागरिक नहीं।
• जनप्रीतिनिधत्व कानून (आरपी एक्ट) की धारा 29सी में संशोधन में कहा गया है कि चुनावी बॉण्ड केजरिए मिलने वाले चंदे को चुनाव आयोग की जांच केदायरे से बाहर रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने इसे प्रतिगामी कदम बताया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वह यह भी नही जान पाएगा कि किसी राजनीतिक दल को विदेशी स्रोतों से सरकारी कंपिनयों से चंदा मिल रहा है या नहीं, जिस पर धारा 29बी केतहत रोक लगाई गई है।
• आरटीआई से ही यह खुलासा हुआ है कि रिजर्व बैंक ने सरकार को इलेक्टोरल बॉण्ड जारी करने की चेतावनी दी थी। रिजर्व बैंक ने कहा था कि इसे जारी करने वाले प्राधिकरण को प्रभाव में लिया जा सकता है। इस वजह से इसमें पूरी तरह से पारदिर्शता नहीं रखी जा सकती है। यह मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को कमजोर करेगा।
• सरकार का यह भी तर्कहै कि इन बॉण्ड को रैंडम सीरियल नंबर दिए गए हैं जो सामान्य तौर पर आंखों से नहीं दिखते। बॉण्ड जारी करने वाला एसबीआई इस सीरियल केबारे में किसी को नहीं बताता।
• इन बॉण्ड को राज्य केस्वामित्व वाले बैंकों (एसबीआई) केमाध्यम से बेचा जाता है, इस तरह से सरकार यह जान सकती है कि विपक्षी दलों को कौन वित्त पोषण कर रहा है।
• वत्त अिधिनयम 2017 में संशोधन केमाध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बांड केमाध्यम से प्राप्त राशि का खुलासा करने से छूट दी है। इसका आशय यह है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक वित्त पोषित किया है। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा आ सकती है।

लाभ या समाधान

• सरकार ने इस बॉण्ड को वर्ष 2018 में इस तर्ककेसाथ पेश किया था कि इससे राजनीतिक चंदे में पारदिर्शता बढ़ेगी और पारदर्शी रूप से धन आएगा। इसमें व्यक्ति,कॉरपोरेट और संस्थाएंबॉण्ड खरीदते हैं और उन्हें राजनीतिक दलों को दान केरूप

में देते हैं और राजनीतिक दलों को इन बॉण्ड को बैंक में भुनाकर पैसा मिलता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया कि चुनावों का आंशिक वित्तीयन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉण्ड द्वारा पारदर्शिता से वित्तीयन होगा और राज्य पर भर भी नहीं बढेगा ।

मुकुंद माधव शर्मा

YOJNA IAS